

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(147)नवि/3/2008 पार्ट-III

जयपुर, दिनांक :-

20 FEB 2019

आदेश

विभाग द्वारा जारी समसंख्य आदेश दिनांक 06.02.2017 के अनुच्छेद 9(b) तथा अनुच्छेद 12(2) को विलोपित करते हुए निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- 9(b) "The licensee shall deposit annual user charges to the local body for installation of Roof Top Tower (RTT)/ Roof Top Pool (RTP)/ Ground Based Tower (GBT)/ Ground Based Mast (GBM)
- |  |              |
|--|--------------|
| (i) For Municipal Corporation/ Municipal Council Towns | Rs. 10,000/- |
| (ii) For Municipal Board Towns                         | Rs.10,000/   |
| (iii) For Panchayat Area                               | Rs. 10,000/" |

- 12(2) "For all the existing mobile towers etc. where in formal permission has not be issued by nodal officer shall be regularized as per provision in departmental order no. F 10(147)UDD/3/2008 Part-II, dated 31.08.2012."

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

— Sal —

(कन्हैयालाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

— 103 —

संयुक्त शासन सचिव- प्रथम